

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014—चैत्र 21, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2014

क्र. 2127-98-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 मार्च, 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१४

## मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०१४

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १०-क का संशोधन.
५. धारा १४ का संशोधन.
६. धारा २३ का संशोधन.
७. धारा ५७ का संशोधन.
८. अनुसूची-२ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१४

### मध्यप्रदेश वेत ( संशोधन ) अधिनियम, २०१४

[ दिनांक 22 मार्च, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ६ के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

२. मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा २ का संशोधन.

“(छह) अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा के विक्रय के लिए किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम, जहां वह मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) के साथ पठित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों के नियम सोलह के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, वहां वह न्यूनतम विक्रय कीमत के बराबर होना समझी जाएगी.”

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ४ का संशोधन.

“(५) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि ५ वर्ष होगी परन्तु ६५ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी, और अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं.”

४. मूल अधिनियम की धारा १०-क में, उपधारा (३) में, शब्द “पांच करोड़ रुपए” के स्थान पर, शब्द “ऐसी सीमा जैसी कि विहित की जाए,” स्थापित किए जाएं.

धारा १०-क का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१ क छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा १४ का संशोधन.

“(१क ज) ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट सिगार, चुर्रुट, सिगरेट, तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी, तथा अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए सिगार, चुर्रुट, सिगरेट, तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी तथा अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद, जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है, का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.”

धारा २३ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २३ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “विनिर्धारक” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में, धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए या उपसंजात होने के लिए हकदार है या अपेक्षित किया गया है, उस स्थिति को छोड़कर जबकि वह धारा ४३ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए अपेक्षित किया गया है, उस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हाजिर या उपसंजात हो सकेगा जो उसका संबंधी है या उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है या विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या कर विधि व्यवसायी है.”

(तीन) उपधारा (५) और (६) में जहां कहीं शब्द “व्यापारी” आया हो, वहां शब्द “व्यापारी या व्यक्ति” स्थापित किए जाएं.

धारा ५७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ५७ में,—

(एक) उपधारा (२) में, तृतीय परन्तुक में, दो बार आने वाले शब्द “यथास्थिति, प्रवेश करने या छोड़ने” के स्थान पर, शब्द “प्रवेश करने” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१५) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि परिवहनकर्ता परेषक, परेषिती या माल के संबंध में उपधारा (२) के खण्ड (घ) के अधीन उससे अपेक्षित जानकारी ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, देने में असफल रहता है या जारी दस्तावेजों के साथ माल का परिवहन करता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि इस प्रकार परिवहन किए गए माल का विक्रय उसके द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में कर दिया गया है और वह इस अधिनियम के अधीन उन मालों के लिए कर के भुगतान का दायी एक व्यापारी समझा जाएगा, और यथास्थिति, जांच चौकी अधिकारी या उपधारा (५) के अधीन सशक्त अधिकारी इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ उन मालों के लिए कर उद्ग्रहीत करेगा.”

अनुसूची-२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-तीन क में, अनुक्रमांक ६ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“७. सिगार, चुरूट, सिगरेट और तम्बाकू की सिगारिल्लो, बीड़ी, तथा अन्य विनिर्मित २७” तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू और पान मसाला सम्मिलित है.”

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2014

क्र. 2128-98-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 9 OF 2014

**THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2014**

TABLE OF CONTENTS

**Sections :**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 10-A.
5. Amendment of Section 14.
6. Amendment of Section 23.
7. Amendment of Section 57.
8. Amendment of Schedule II.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 9 OF 2014

**THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2014**

[Received the assent of the Governor on the 22nd March, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 11th April, 2014.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2014.

**Short title and commencement.**

(2) (a) The provisions of Section 2 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013;

(b) The provisions of Section 6 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006;

(c) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from such date as the State Government may, by notification, appoint.

**Amendment of Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (v), in explanation, for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—

“(vi) The amount of valuable consideration received or receivable by a dealer, for the sale of liquor, as specified in Part-III A of Schedule II, shall be deemed to be equivalent to the minimum sale price where it is fixed by the Competent Authority under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) read with rule XVI of the General License Conditions.”

**Amendment of Section 4.**

3. In Section 4 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(5) The tenure of the chairman and members shall be 5 years but shall not be beyond the age of 65 years, and the salary and other conditions of service of the Chairman and members shall be such as may be prescribed.”

**Amendment of Section 10-A.**

4. In Section 10-A of the principal Act, in sub-section (3), for the words “rupees five crore”, the words “the limit as may be prescribed”, shall be substituted.

**Amendment of Section 14.**

5. In Section 14 of the principal Act,- after sub-section (1AG), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1AH) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases cigars, cheroots, cigarettes, cigarillos of tobacco, bidies and other manufactured tobacco products including gudaku and pan masala, as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and sells the cigars, cheroots, cigarettes, cigarillos of tobacco, bidies, and other manufactured tobacco products including gudaku and pan masala so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.”

**Amendment of Section 23.**

6. In Section 23 of the principal Act,—

(i) in the heading, the word “taxing” shall be omitted;

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) Any dealer or person who is entitled or required to attend or appear before any officer appointed under Section 3 or Appellate Authority or Appellate Board or any other Authority in connection with any proceedings under this Act, otherwise than when required under Section 43 to attend personally for examination on oath or affirmation, may authorise in writing to attend or appear on his behalf, a person being a relative of or a person regularly employed by him, or a legal practitioner or a chartered accountant or a tax practitioner.”;

- (iii) in sub-sections (5) and (6), wherever the word “dealer” occur, the words “dealer or person” shall be substituted.

7. In Section 57 of the principal Act,—

**Amendment of Section 57.**

- (i) in sub-section (2), in third proviso, for the words “entering or leaving, as the case may be”, occurring twice, the word “entering” shall be substituted;
- (ii) for sub-section (15), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(15) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, if a transporter fails to give information as required from him under clause (d) of sub-section (2) about the consignor, consignee or the goods within such time as may be specified or transports the goods with forged documents, it shall be presumed that the goods so transported have been sold in the State of Madhya Pradesh by him and he shall be deemed to be a dealer liable to pay tax for those goods under this Act, and the check post officer or the officer empowered under sub-section (5), as the case may be, shall levy the tax for those goods, besides imposing the penalty under this section.

8. In Schedule II to the principal Act, in part-III A, after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

**Amendment of Schedule II.**

- “7. Cigars, cheroots, cigarettes, cigarillos of tobacco, bidies, 27”  
and other manufactured tobacco products including  
gudaku and pan masala.